वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 07.08.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,,आज, अमर उजाला, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 07.08.2024

400 भवन जर्जर, 25 को खाली करने का नोटिस

जागरण संवाददाता, वाराणसी : कोतवाली जोन में चिह्नित 189 जर्जर भवनों में से मंगलवार को 25 भवनों को नोटिस दिया गया। भवन स्वामियों को तत्काल मकान खाली करने का निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने ऐसे सभी भवन स्वामियों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील भी की है। नगर निगम ने शहर में 404 भवन को जर्जर चिह्नित किया है। इसमें से चौक, कोतवाली व दशाश्वमेध जोन में करीब 100 से अधिक मकान काफी जर्जर हैं। यह मकान दो सौ से 300 साल पुराने बताए जा रहे हैं और कभी भी गिर सकते हैं। वहीं 50 से अधिक जर्जर मकान में किराएदारों का विवाद चल रहा है। विवाद कोर्ट में लंबित होने के चलते नगर निगम प्रशासन भी कोई कार्रवाई करने बचता रहा है। निगम का यही लचीलापन भवन मालिकों के बचने का मुफीद हथियार होता है।

छह जुलाई को भी हुआ था हादसा : छह जुलाई को बारिश से दशाश्वमेध क्षेत्र के खालिसपुरा स्थित पंचकोट महादेव मंदिर भवन का एक हिस्सा ढह गया था। यह संयोग था कि कोई हताहत नहीं हुआ। जुलाई में ही रामनगर थाने की एक छत भरभरा कर गिर गई थी। इसके नीचे खड़े कई दो पहिया वाहन दब कर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे।

नगर निगम ने ठठेरी बाजार स्थित जर्जर मकान पर चस्पा किया खाली कराने का नोटिस• जागरण

दुर्गाघाट मोहल्ले में भी कई भवन जर्जर : विश्वनाथ मंदिर के आसपास व दुर्गाघाट मोहल्ले में भी कई भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। जर्जर भवनों के चलते दुर्गाघाट स्थित शाही नालों की सफाई भी बाधित हो रही है। जलकल विभाग ने आठ मकानों को खाली करने का निर्देश दिया था।

- श्रीकाशी विश्वनाथ के कोतवाली जोन क्षेत्र में 189 जर्जर भवन हुए चिह्नित
- चौक, कोतवाली जोन के अधिकांश पुराने भवनों में किरायेदारी का विवाद

जोनवार जर्जर भवनों की संख्या

189 कोतवाली
143 दशाश्वमेध
40 वरुणापार
19 आदमपुर
14 भेलूपुर

हादसे के बाद सक्रिय हुआ वीडीए हेल्पलाइन नंबर जारी किया

जासं, वाराणसी : जर्जर मकान गिरने के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण सक्रिय हुआ है। निगम और वीडीए एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते रहते हैं। निगम का कहना है कि जर्जर भवन की पहचान करने तक ही निगम की भूमिका है। ध्वस्तीकरण की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गंगा घाट से 200 मीटर के दायरे मे नव निर्माण पर रोक के नाम पर प्राधिकरण मरम्मत की अनुमति भी सहजतापूर्वक नहीं देता है। वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि राजघाट से सामनेघाट तक शासनादेश है, गंगा घाट किनारे से 200 मीटर के दायरे में नया निर्माण नहीं हो सकता है। वहां रहने वालों की सुविधा के लिए मरम्मत की अनुमति दी जाती है। अब आवेदन आनलाइन कर दिया गया है। बताया कि दीवारों के प्लास्टर व मरम्मत, फर्श का पुन:निर्मा0ण, रंगाई-पोताई, सेप्टी टैंक निर्माण, हैंडपंप लगाने, पेयजल व सीवर लाइन, बिजली, सौर ऊर्जा लगाने की अनुमति दी जाती है। भवन स्वामियो के लिए हेल्प लाइन नंबर-0524-2283305 व वाट्सएप नंबर-7518102822 जारी किया गया है।

दैनिक जागरण –दि0 07.08.2024

बकाया किराया नहीं देने पर छह का आवंटन निरस्त

वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण के शास्त्री नगर योजना के तहत आठ कार्यालय भवन आवंटित किए गए थे जिसका किराया प्रतिमाह 2880 रुपये था। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वीडीए की ओर से आवंटित दुकानों का किराया समय-समय पर बढ़ाया जाता है। आठ आवंटियों ने किराया देने से मना कर दिया। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी की गई थी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदेश के वित्तीय निगम के ऊपर प्राधिकरण का जून तक 71,25,610 रुपये बकाया है। आठ आवंटियों में से छह का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। (जासं)

वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, दुरुस्त करें सफाई व्यवस्था

वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आकाशदीप परिसर का निरीक्षण किया। दुकान संख्या 33 आवंटी की शिकायत पर भूतल पर स्थित 34 दुकानों का देखा जिसमें 17 दुकानें अभी तक आवंटित नहीं की गई थी। उन सभी दुकानों को जल्द से जल्द से नीलामी कराने का निर्देश दिया। साथ ही परिसर में सफाई और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। संयुक्त सचिव परमानंद यादव, नायब तहसीलदार आरके जायसवाल, रमेश दुबे आदि मौजूद थे।

आज –दि0 07.08.2024

बकाया किराया न देने पर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के कमरे का आवंटन निरस्त

विप्रा उपाधयक्ष ने मगलवार को शास्त्री नगर में विप्रा के आवास में चल रहे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के बकाया किराया न देने पर आधा दर्जन कमरों का आवंटन निरस्त कर दिया। एक सप्ताह में बकाया किराया का भुगतान नही होने पर शेष दो कमरों का आवंटन निरस्त होगा और बेदखल की कारवाई होगी। विभाग को आठ कमरों का आवंटन १९७८ में २८८० मासिक पर किगा गया था। इस समय विभाग पर ७१ लाख २५ हजार ६१० हो गया किराया में वृद्धि के लिए शासन के मिर्देश का हवाला देते हुए विप्रा ने उक्त विभाग को कइ बार पत्र भेजा गया लेकिन कोई जवाब नहीं भेजा। शासन के निर्देश पर निगम को दो करोड़ ३२ लाख ३१ हजार ६६ में राशि भुगतान कर आवटन हिस्सा को क्रय करने के लिए पत्र भेजा गया। लेकिन विभाग ने पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। मौके पर विप्रा उपाधयक्ष पुलकित गर्ग सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंचे और आधा दर्जन कमरों को कब्जे में लेते हुए आवटन निरस्त कर दिया शेष दो कमरे का आवंटन एक सप्ताह में बकाया भुगतान न होने पर किया जाएगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 07.08.2024

गंगा से 200 मीटर तक भवनों की मरम्मत के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास दो जर्जर मकान गिरने के बाद मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने मकान निर्माण और पुनर्निर्माण के संबंध में गाइडलाइन ज़ारी की है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि दलालों से लोग बच सकें।

बताया कि गंगा नदी से 200 मीटर के अंतर्गत दीवारों पर सीमेंट प्लास्टर कराना या आंशिक मरम्मत कराने के लिए किसी भी विभाग की अनुमति की जरूरत नहीं है। इसी तरह फर्श का निर्माण, रंगाई-पुताई, सेप्टिक टैंक व पिट का निर्माण और हैंडपंप लगवाने के लिए किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। नालियों या अन्य उपकरण के नवीनीकरण और मरम्मत कार्य के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। इसे कभी भी करा सकते हैं। सौर ऊर्जा के लिए छत पर आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कराया जा सकता है।

इनके लिए लेनी होगी प्राधिकरण की अनुमतिः भवन व दीवारों का पुनर्निर्माण और छत, बालकनी और बरामदे में छज्जे का निर्माण। इसके अलावा मकान के अंदर आंतरिक परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। भवन के बाहरी स्वरूप में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। भवन के उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। परिवर्तन करने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट और हेल्प डेस्क के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

आवेदक को भवन मरम्मत या पुनर्निर्माण के आवेदन के साथ मौजूदा भवन का मानचित्र भी देना होगा। साथ ही स्वामित्व संबंधी अभिलेख, भवन की लोकेशन, तमान स्थिति के सभी उपलब्ध दिशाओं से फोटाग्राफ, नगर निगम द्वारा जारी शपथ-पत्र जमा किए जाएंगे। आवेदन मिलने के 15 दिनों के अंदर उसका निस्तारण कराया जाएगा और जोनल अधिकारी मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे।

जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर

कमिश्नर ने कहा कि गंगा नदी तट से 200 मीटर के अंतर्गत भवनों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु आवेदन संबंधी प्रक्रिया/जानकारी हेतु और किसी भी प्रकार की परेशानी व दलाल की शिकायत के लिए प्राधिकरण के हेल्प लाइन नम्बर-0524-2283305 और व्हॉट्सएप नं-7518102822 पर संपर्क किया जा सकता है।

अमर उजाला –दि0 07.08.2024

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के छह कार्यालय भवन का आवंटन निरस्त

वीडीए की खबरें

वाराणसी। वीडीए की ओर से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के छह कार्यालय भवन का आवंटन निरस्त कर दिया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार शास्त्री नगर योजना के तहत उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को वर्ष 1976 में 8 कार्यालय भवन किराए पर आवंटित किए गए थे। बकाया धनराशि जमा करने के लिए कहा गया। सभी प्रयास के बाद भी न तो भवन को खरीदा गया और न ही किराया बढ़ाया गया। इस पर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने 8 में से 6 कार्यालय भवनों का आवंटन निरस्त कर दिया। यह भी सचेत किया गया कि एक सप्ताह में 6 कार्यालय भवन को खाली नहीं किए गए तो वीडीए खाली करवाएगी। इस पर 71.25 लाख रुपये बकाया है। इस भवन का मूल्य 2.32 करोड़ है। ब्यूरो

बिल्डिंग का हटेगा अतिक्रमण

वाराणसी। वीडीए पुलकित गर्ग ने मंगलवार को 33 आवंटियों की शिकायत पर वीडीए परिसर स्थित आकाशदीप बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इसमें 17 दुकानें आवंटित नहीं थीं। इनकी पुनः नीलामी कराने को कहा। यहां साफ सफाई कराने, प्रकाश व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण हटवाने को कहा। रखरखाव के लिए एसोसिएशन बनाने की हिदायत दी। ब्यूरो

दो जगहों पर 8 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार मंगलवार को दो जगहों पर 8 बीघे की अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराई गई। मुगलसराय वार्ड के चंद्रखा में 3 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। जिसे पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया। सारनाथ वार्ड के चोलापुर में अज्ञात की ओर से 5 बीघे में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। इसे ध्वस्त कराया गया। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 07.08.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा दुकान संख्या 33 आवंटी के प्राप्त शिकायत पर आज प्राधिकरण परिसर स्थित आकाश दीप बिल्डिंग के भूतल पर स्थित 34 दुकानों (ऑफिस /व्यवसायिक उपयोग हेतु)का औचक निरीक्षण किया गया ह जिसमें से 17 दुकाने (2,3,4,5,7,8,9,10,13,14,15,27,28,29,30,31एवं 32) अभी तक आवंटित नहीं हुई है उनको पुनः नीलामी में लगाने के निर्देश एवं संबंधित को साफ- सफाई कराने एवं पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था कराने तथा आवंटित दुकानों के मालिकों जिसमें मनोज सिंह द्वारा किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए साथ ही बिल्डिंग के रखरखाव हेतु एसोसिएशन बनाने के निर्देश दिए गए । मौके पर संपत्ति अधिकारी, संयुक्त सचिव एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 07.08.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा 03 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-मुगलसराय, चन्दखा, जिला-चन्दौली के अन्तर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी ह उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 06/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया । जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार अवर अभियंता पी0 एन0 दुबे उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 07.08.2024

वाविप्रा उपाध्यक्ष ने 34 दुकानों ऑफिस व्यवसायिक उपयोग के लिए किया औचक निरीक्षण

वाराणसी। वाविप्रा'उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग' द्वारा दुकान संख्या 33 आवंटी के प्राप्त शिकायत के क्रम में आज 06.08.2024 को प्राधिकरण परिसर स्थित 'आकाश दीप बिल्डिंग के भूतल पर स्थित 34 दुकानों ;ऑफिस व्यवसायिक उपयोग हेतु का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें से 17 दुकाने 2 3 4 5 7 8 9 10 13 14 15 27 28 29 30 31एवं 32 अभी तक आवँटित नहीं हुई है उनको पुनः नीलामी में लगाने के निर्देश एवं संबंधित को साफ. सफाई कराने एवं पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था कराने तथा आवंटित दुकानों के मालिकों जिसमें मनोज सिंह द्वारा किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए साथ ही बिल्डिंग के रखरखाव हेतु एसोसिएशन बनाने के निर्देश दिए गए मौके पर संपत्ति अधिकारी संयुक्त सचिव एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 07.08.2024

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा बकाया धनराशि जमा न करने के कारण वाविप्रा खाली करायेगा 6 कार्यालय भवन

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण के शास्त्री नगर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को वर्ष 1976 में 8 कार्यालय भवन किराए पर आवंटित किए गए थे। उस समय इनका प्रतिमाह किराया 2880 रुपए निर्धारित किया गया था। समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं बोर्ड के निणन्य के क्रम में इनके किराए में वृद्धि की गई, किंतु उनके द्वारा बराबर बढे हुए किराए को देने से मना किया गया। बाद में शासनादेश के क्रम में इनको नियमों के अनुसार संपत्ति को क्रय करने का भी प्रस्ताव दिया गया, किंतु उनके द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के ऊपर प्राधिकरण का जून 2024 तक रुपए 71, 25,610 बकाया हो गया था। शासनादेश के क्रम में उक्त कार्यालय भवनों का वर्तमान मूल्यांकन करते हुए इनको कार्यालय भवन 2,32,31,066 में क्रय करने का भी प्रस्ताव दिया गया । इनको बकाया किराया जमा करने हेतु कई नोटिसे दी गई। दिनांक 31.03. 2023, दिनांक 21.07.2023 दिनांक 12.7.2024 को भी नोटिस दी गई । इसके पश्चात उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संपत्ति अधिकारी एवं अन्य प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर के बकाया किराया जमा करने अथवा भवन खाली करने हेतु भी सचेत किया गया। इसके पश्चात भी इनके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गई । इनके द्वारा लगातार आदेशों की अवहेलना करने, नोटिस की उपेक्षा करने, उपाध्यक्ष के जाने के पश्चात भी बकाया धनराशि जमा न करने के कारण दिनांक 2 अगस्त 2024 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही करते हुए एवं सरकारी संस्था का ध्यान रखते हुए आठ कार्यालय भवन में से 6 कार्यालय भवनो का आवंटन निरस्त कर दिया गया और यह भी सचेत किया गया कि एक सप्ताह के अंतर्गत 6 कार्यालय भवन को खाली करके अवगत कराये अन्यथा की दशा में विधिक कार्यवाही करते हुए 6 कार्यालय भवनों को प्राधिकरण द्वारा खाली करा लिया जाएगा।

वाविप्रा ने की अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-सारनाथ, मौजा - साई थान- चोलापुर के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी त उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 06 अगस्त को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।इस मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियंता जे0 पी0 गुप्ता उपस्थित रहे।इसी क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 07.08.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने आकाशदीप बिल्डिंग का किया औचक निरीक्षण

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा दुकान संख्या 33 आवंटी के शिकायत के क्रम में मंगलवार को प्राधिकरण परिसर स्थित आकाशदीप बिल्डिंग के भूतल पर स्थित 34 दुकानों (ऑफिस /व्यवसायिक उपयोग हेतु) का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें से 17 दुकाने (2,3,4,5,7,8,9,10,13,14,15, 27,28,29,30,31एवं 32) अभी तक आवँटित नहीं हुई है उनको पुन: नीलामी में लगाने के निर्देश एवं संबंधित को साफ- सफाई कराने एवं पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था कराने तथा आवंटित दुकानों के मालिकों जिसमें मनोज सिंह द्वारा किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए साथ ही बिल्डिंग के रखरखाव हेतु एसोसिएशन बनाने के निर्देश दिए। गए मौके पर संपत्ति अधिकारी, संयुक्त सचिव एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।